"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 अप्रैल 2005—चैत्र 18, शक 1927

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 मार्च 2005

क्रमांक 696/482/2005/1/2.—श्री उजागर सिंह तत्का. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग को दिनांक 1-7-2003 से 18-7-2003 तक (18 दिन) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 19 एवं 20 जुलाई, 2003 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

2. अवकाश काल में श्री सिंह, भा. प्र. से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह, भा. प्र. से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2005

फा. क्र. डी/3132/739/21-ब/छ. ग./05.—राज्य शासन, उच्च न्यायालय बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 206/दो-2-17/2001/गोप./2005 दिनांक 24-3-2005 की अनुशंसा पर श्रीमती अनुराधा खरे, चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत) बिलासपुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर माध्यस्थम अधिकरण रायपुर में रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त करती है.

रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2005

क्रमांक 2128/डी-740/21-ब/छ.ग./05.—राज्य शासन, छ. ग. उच्च न्यायालय की सहमति से, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, सारणी के खण्ड (2) में उल्लेखित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायिक सेवा के निम्न सदस्यों को उनके नाम के समक्ष खण्ड (3) में उल्लेखित कुटुम्ब न्यायालय में (छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक 1507/डी-397/21-ब/छ. ग./05, दिनांक 24-2-2005 द्वारा स्थापित कुटुम्ब न्यायालय) जिनका मुख्यालय खण्ड (4) में दर्शित है का न्यायाधीश नियुक्त करती है. न्यायाधीशगण दिनांक 28-3-2005 को आवश्यक रूप से अपने नये पद का पदभार ग्रहण करेंगे :—

अनुक्रमांक	न्यायाधीश का नाम	न्यायालय का नाम	मुख्यालय
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री रघुवीर सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर.	न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर.	रायपुर
2.	श्री पी. के. श्रीवास्तव, न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर.	न्यायालय, प्रथम अति. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर.	रायपुर
3.	श्रीमती निर्मला सिंह, विशेष न्यायाधीश, (अनु. जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत), राजनांदगांव.	न्यायालय, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर.	रायपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	श्री अशोक कुमार निमोनकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़.	न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग.	दुर्ग
5.	श्रीमती शकुन्तला दास, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर.	न्यायालय, प्रथम अति. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग.	दुर्ग
6.	श्री एच. आर. गुरुपंच, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग	न्यायालय, द्वितीय अति. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग.	दुर्ग
7.	श्रीमती अनिता झा, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, दुर्ग.	कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर	बिलासपुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2005

फा. क्र. 1694/डी/206/21-ब/फा.ट्रे.को./छ.ग./05.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री एस. जाकिर अली, अधिवक्ता, रायपुर जिला रायपुर को फास्ट ट्रेक कोर्ट, रायपुर के लिए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष तक की परिवीक्षा अवधि के लिए या फास्ट ट्रेक कोर्ट समाप्ति तक जो अवधि पहले आए, शासन द्वारा देय पारिश्रमिक पर श्री एम. एल. निषाद, अतिरिक्त लोक अभियोजक के स्थान पर, अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2005

फा. क्र. 1696/डी/206/21-ब/फा.ट्रे.को./छ.ग./05.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री रणधीर सिंह गौतम, अधिवक्ता, रायपुर जिला रायपुर को फास्ट ट्रेक कोर्ट, रायपुर के लिए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष तक की परिवीक्षा अवधि के लिए या फास्ट ट्रेक कोर्ट समाप्ति तक जो अवधि पहले आए, शासन द्वारा देय पारिश्रमिक पर अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2005

फा. क्र. 1698/डी/206/21-ब/फा.ट्रे.को./छ.ग./05.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री आर. पी. शर्मा, अधिवक्ता, रायपुर जिला रायपुर को फास्ट ट्रेक कोर्ट, रायपुर के लिए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष तक की परिवीक्षा अवधि के लिए या फास्ट ट्रेक कोर्ट समाप्ति तक जो अवधि पहले आए, शासन द्वारा देय पारिश्रमिक पर अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. गोयल, उप-सचिव.

वित्त एवं योजना विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 मार्च 2005

क्रमांक एफ-3(ए)/1/2003/स्था/चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1965 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात :—

उक्त नियमों में,—

1. नियम 8 के उप नियम (1) के खण्ड (ख) के शब्द "प्रतियोगी परीक्षा" के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अंत:स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

   "छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित"

2. नियमों में प्रतियोगी परीक्षा के संदर्भ में जहां-जहां शब्द "संचालक" अंकित है उसके स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग" स्थापित किया जाए.

Raipur, the 16th March 2005

No. F-3 (A)/1/2003/Estt./IV.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following further amendment in Chhattisgarh Subordinate Accounts Service (Recruitment and condition of service) Rules, 1965, namey :—

In the said rules,—

1. After the words "competitive examination" of clause (b) of Sub-rule (1) of rule 8, the following words shall be inserted, namely :—

   "Conducted by Chhattisgarh Public Service Commission"

2. That in rules the context of competitive examination where-ever the words "Director" is metioned, in its place the words "Chhattisgarh Public Service Commission" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. बेहार, विशेष सचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2005

क्रमांक 56/30/1/सं./2005.—छत्तीसगढ़ शासन एतद्द्वारा राजिम, जिला-रायपुर में श्री राजीवलोचन महोत्सव 2005 के आयोजन हेतु निम्नानुसार उच्च स्तरीय समिति का गठन करता है :—

1. माननीय डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन	-	अध्यक्ष
2. माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल, मंत्री संस्कृति, पर्यटन एवं गृह	-	उपाध्यक्ष
3. माननीय श्री अजय चंद्राकर, मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास, उच्च शिक्षा एवं तक. शिक्षा.	-	उपाध्यक्ष
4. माननीय श्री पवन दीवान	-	विशिष्ट सदस्य
5. श्री बाल योगेश्वर श्री राम बालक दास जी, महात्यागी	-	विशिष्ट सदस्य
6. माननीय श्री चन्दूलाल साहू, विधायक, राजिम	-	विशिष्ट सदस्य
7. माननीय श्री चन्द्रशेखर साहू, पूर्व सांसद, महासमुंद	-	विशिष्ट सदस्य
8. माननीय श्री अशोक बजाज	-	विशिष्ट सदस्य
9. माननीय श्री भागवत हरित, अध्यक्ष, राजिम वि.ख.स.वि.सं., मर्या, फिंगेश्वर.	-	विशिष्ट सदस्य
10. माननीय श्री देवधर शर्मा, गरियाबंद	-	विशिष्ट सदस्य
11. माननीय श्री जितेन्द्र सोनकर, मण्डल अध्यक्ष, राजिम	-	विशिष्ट सदस्य
12. श्री कृष्ण दास अडीया, चम्पारण्य ट्रस्टी	-	विशिष्ट सदस्य
13. श्री दीपक शर्मा, अध्यक्ष, इतिहास संकलन समिति	-	विशिष्ट सदस्य
14. श्री प्रभुलाल मिश्र, इतिहास संकलन समिति	-	विशिष्ट सदस्य
15. श्री सरयुकान्त झा, वरिष्ठ साहित्यकार	-	विशिष्ट सदस्य
16. श्री संतोष उपाध्याय, जिला पंचायत सदस्य	-	सदस्य
17. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति एवं पर्यटन	-	सदस्य
18. संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व	-	सदस्य
19. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल,	-	सदस्य
20. कलेक्टर, रायपुर	-	सदस्य
21. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, गरियाबंद	-	सदस्य
22. अध्यक्ष, जनपद पंचायत, फिंगेश्वर	-	सदस्य
23. अध्यक्ष, नगर पंचायत, राजिम	-	सदस्य
24. श्री नारायणप्रसाद पाण्डेय, राजीवलोचन मंदिर, राजिम	-	सदस्य
25. श्री पूर्णानन्द सोनी, राजिम	-	सदस्य
26. डॉ. रामकुमार साहू, राजिम	-	सदस्य
27. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, फिंगेश्वर	-	सदस्य
28. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, राजिम	-	सदस्य
29. कार्यपालन यंत्री, सिंचाई विभाग, राजिम	-	सदस्य
30. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग, राजिम	-	सदस्य
31. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, पर्यटन विभाग	-	सदस्य
32. श्री आर. एन. जोशी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग.	-	सदस्य

रायपुर, दिनांक 1 मार्च 2005

संशोधन

क्रमांक 267/30/1/सं./2005.—छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग के आदेश क्रमांक 56/30/1/सं./2005, दिनांक 5-2-2005 में श्री राजीव लोचन महोत्सव, 2005 के आयोजन हेतु मनोनीत सदस्यों में सदस्य क्रमांक 24 पर अंकित नाम श्री नारायण प्रसाद पाण्डेय, राजीव लोचन मंदिर, राजिम विलोपित किया जाता है तथा उनके स्थान पर श्री विशाल राही, राजीव लोचन मंदिर के पास, राजिम को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एन. सूर्यवंशी, विशेष सचिव.

लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2005

क्रमांक 2759/1731/05/19/तक.—राज्य शासन एतद्द्वारा जगदलपुर चित्रकोट मार्ग के कि.मी. 12/2 पर स्थित कोयर पुल की निर्माण लागत की राशि पथकर के रूप में पूर्ण रूप से वसूल की जा चुकी है. अत: विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 23-10/97/जी/उन्नीस दिनांक 29 जून, 1998 के अनुरूप उक्त पुल पर लगाया गया पथकर दिनांक 1-4-2005 से समाप्त करता है.

रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2005

क्रमांक 2761/4306/04/19/तक.—राज्य शासन एतद्द्वारा सुकमा-दन्तेवाड़ा मार्ग के कि.मी. 32/10 पर स्थित चिंगावरम पुल की निर्माण लागत की राशि पथकर के रूप में पूर्ण रूप से वसूल की जा चुकी है. अत: विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 23-10/97/जी/उन्नीस दिनांक 29 जून, 1998 के अनुरूप उक्त पुल पर लगाया गया पथकर दिनांक 1-4-2005 से समाप्त करता है.

रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2005

क्रमांक 2763/2065/05/19/तक.—राज्य शासन एतद्द्वारा कटघोरा अंबिकापुर मार्ग के कि.मी. 41/2 पर स्थित हसदेव नदी पुल की निर्माण लागत की राशि पथकर के रूप में पूर्ण रूप से वसूल की जा चुकी है. अत: विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 23-10/97/जी/उन्नीस दिनांक 29 जून, 1998 के अनुरूप उक्त पुल पर लगाया गया पथकर दिनांक 1-4-2005 से समाप्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. लुलु, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2005

क्रमांक एफ 8-2/2005/11/6.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई के बायलर क्रमांक एम.पी./4075 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 18-3-2005 से दिनांक 17-5-2005 तक दो माह की छूट देता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुप कुमार श्रीवास्तव, विशेष सचिव.

गृह (परिवहन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2005

क्रमांक-एफ-5-8/दो/आठ-परि./2005.—राज्य शासन एतद्द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 68 की उपधारा (3) के खण्ड (ग क) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में राज्य सरकार एतद्द्वारा बिलासपुर क्षेत्रांतर्गत निम्नलिखित मार्गों को मंजिली गाड़ी संचालन के उद्देश्य से विनिश्चित करती है :—

सं. (1)	मार्ग का नाम (2)	व्हाया (3)
1.	बगीचा से दुलदुला	कांसाबोल, सेमरकछार, टोकरा, बन्दरचुआ, कुनकुरी, चराईडाड
2.	बिलासपुर से करतला	रतनपुर, पाली, कटघोरा, कोरबा, भैसमा
3.	बिलासपुर से सिल्ली	खेरा, फरसदा, रतनपुर, पाली
4.	बिलासपुर से कटघोरा	रतनपुर, खेरा, पोड़ी, पाली, चैतमा
5.	बिलासपुर से दोना सागर	रतनपुर, नवागांव, मोहदा
6.	कोरबा से सारंगढ़	चांपा, जांजगीर, अकलतरा, शिवरीनारायण, भटगांव, सरसिवा
7.	बाल्को से चन्द्रपुर	कोरबा, उरका, भैसमा, दमउ, सक्ति, मालखरौदा, छपोरा, डभरा
8.	चन्द्रपुर से कोरबा	सपोस, डभरा, छपोरा, मालखरौदा, सकर्रा, सक्ति, बाराद्वार, चांपा.
9.	बिलासपुर से मारो	सरगांव, मोहभट्ठारोड़, मोहभट्ठा, बदरा, त्रिभुवनपुर
10.	पंडरिया से लोरमी	चिल्फी, बोडतरा, खाम्ही
11.	पंडरिया से कोदवागोडान	चिल्फी, बोडतरा, पथरिया, नवरंगपुर, डिंडोरी

(1)	(2)	(3)
12.	पंडरिया से रूसे	मोहगांव
13.	पेण्ड्रारोड से पटना	कोटमी, दानीकुण्डी, देवादाण्ड, बैकुण्ठपुर
14.	हरदीबाजार से कटघोरा	दीपका, तिवरता, रंजना, चैतमा, सुतरी
15.	रायगढ़ से धनवार	घरघोड़ा, धर्मजयगढ़, पत्थलगांव, अंबिकापुर, भटगांव, वाड्रफनगर
16.	बिर्रा से सारंगढ़	हसौद, छपोरा, डभरा, चन्द्रपुर, मुडेली
17.	सकराली से सारंगढ़	डभरी, तुलसीडीह, कोटमी,धुरकोट, नंदेली, रायगढ़, चिखली, चन्द्रपुर
18.	बाल्को से चन्द्रपुर	कोरबा, चांपा, बाराद्वार, सक्ति, अडभारी, धुरकोट, बधौत, पेंडरवा
19.	जमनीपाली से खरसिंया	कोरबा, चांपा, बाराद्वार, सक्ति
20.	जमनीपाली से छपोरा	कोरबा, चांपा, बाराद्वार, सक्ति, मालखरौदा
21.	कटघोरा से खरसिंया	कोरबा, उरगा, चांपा, बाराद्वार, सक्ति
22.	कोटमी से कोरबा	डभरा, मालखरौदा, सक्ति, बाराद्वार, चांपा, भैंसमा
23.	बेलिया से बैकुण्ठपुर	सोनहत, घुघरा, कटघोडी, खरबत
24.	सारंगढ़ से जशपुर	लेन्द्रा, कोसीर, दहिदा, अंडोला, पासीद
25.	रिसोड़ा से रायगढ़	लेन्द्रा, बरमकेला, देवगांव, सरिया, कटंगपाली, चन्द्रपुर
26.	कोसीर से जशपुर	सारंगढ़, रायगढ़, घरघोड़ा, लैलूंगा, कातबा, तपकरा, कुनकुरी
27.	नोनदरा से कोरबा	रामपुर, संदरीपाली, उरगा
28.	जशपुर से सक्ति	सारंगढ़, चन्द्रपुर, सपोस, डभरा, छपोरा, मालखरौदा, सक्ति
29.	घुटरीटोला से रामानुजगंज	मनेन्द्रगढ़, बैकुण्ठपुर, सूरजपुर, अंबिकापुर, राजपुर, बलरामपुर
30.	घुटरीटोला से धनवार	मनेन्द्रगढ़, बैकुण्ठपुर, सूरजपूर, अंबिकापुर, जरहि, वाड्रफनगर
31.	चगोरी से बिलासपुर	मरवाही, सिवनी, निमधा, धनपुर, पेण्ड्रा, करिआम, केन्दा, रतनपुर
32.	गिधोरी से कोरबा	शिवरीनारायण, केरा, राछा, जांजगीर, चांपा, कोरबा
33.	रायगढ़ से बडमाल	नेतनगर, रेंगारपाली
34.	रनपुर से रायगढ़	बंदरचुआ, बागबहारा, कोतबा, लैलूंगा, घरघोड़ा
35.	सलका से बिलासपुर	नवागांव, कोटा, गनियारी
36.	मुरली से माचाडोली	रामपुर, रेकी, हरदीबाजार, कुसमुण्डा, बांकी, सुतर्रा, कटघोरा, गुरसीया
37.	रामपुर से कोरबा	सेंदरी, पाली, भैंसमा, उरगा
38.	मार्टीपहाणछर्रा से जशपुर	सराईटोली, अंकरा, पण्ड्रीपानी, तपकरा, कुनकुरी, पतराटोली
39.	कुनकुरी से रायगढ़	बन्दरचुआ, कोकड़ा, पण्ड्रीपानी, बागबहारा, कोतबा, लैलूंगा, घरघोड़ा
40.	बिलासपुर से रामानुजगंज	रतनपुरपाली, कटघोरा, उदयपुर, अंबिकापुर, राजपुर, बलरामपुर
41.	लवाकेरा से रायगढ़	अंकिरा, सरायीटोला, कोतबा, लैलूंगा, मिलुपारा, गारे, तमनार, पूंजीपतरा
42.	उदयपुर से कालीपुर	अंबिकपुर
43.	कोसिर से जशपुर	सारंगढ़, चन्द्रपुर, सपोस, डभरा, छपोरा, मालखरौदा, सक्ति
44.	अंबिकापुर से बलगी	कल्याणपुर, धर्मपुर, प्रतापपुर, घोंघ, वाड्रफनगर, रघुनाथपुर
45.	अंबिकापुर से भगवानपुर	कल्याणपुर, खड़गवां, धर्मपुर, प्रतापपुर, घोंघ, बरती
46.	उदारी से प्रतापपुर	ककमा, परसा, अंबिकापुर, खड्गांव
47.	रायमेर से लवाकेरा	कांपू, पत्थलगांव, बागबहार, कोतबा
48.	कोसिर से सरिया	दनसरा, सारंगढ़, बरमकेला
49.	सकराली से सारंगढ़	डभरा, तुलसीडीह, कोटमी, धुरकोट, नंदेली, रायगढ़, चिखली, चन्द्रपुर गोड़म.
50.	विश्रामपुर से रेहेर	सूरजपुर, सलका, केतका
51.	अंबिकापुर से सूरजपुर	लखनपुर, उदयपुर, डाडगांव, तारा, प्रेमनगर, श्रीनगर
52.	टांगरघाट से बेहमा	घोरभांटा, महलोई, तमनार, मिलूपारा, लैलूंगा, राजपुर, मुडागांव, घरगांव

(1)	(2)	(3)
53.	वैंकुण्ठपुर से भैंसबार	सूरजपुर, लटमा, कटघोड़ी, सोनहत
54.	अंविकापुर से कुनकुरी	बतौली, बगीचा, करकौम्बो, रनपुर
55.	जशपुर से रायगढ़	तपकरा, बागबहारा, कोतबा, लैलूंगा, घरघोड़ा
56.	तमता से रायगढ़	पत्थलगांव, धर्मजयगढ़, घरघोड़ा
57.	रायगढ़ से रामानुजगंज	घरघोड़ा, धर्मजयगढ़, पत्थलगांव, सीतापुर, अंबिकापुर, राजपुर, बलरामपुर
58.	कुनकुरी से जशपुर	हल्दीमुण्डा, खरडेगा, मकरीबधा, सिमदा, दुलदुला, कस्तुरा, लौरो
59.	अंबिकापुर से रामानुजगंज	लटोरी, सौनगरा, प्रतापपुर, वाड्रफनगर, रामानुजगंज
60.	घोसरा से कटघोरा	सिरमिना, कोरबी, गुरसिया, पोडी
61.	अंकिरा से कापू	सरायीटोला, कोतबा, लैलूंगा, राजपुर, वाकारूमा, पत्थलगांव, किलकिला
62.	रनपुर से बगीचा	बन्दरचुआ, कुनकुरी
63.	कोसिर से डभरा	सारंगढ़, गोडम, चन्द्रपुर, चिखली, रायगढ़, तारापुर, टुनड्री, घुरकोट, बधौंद, कोस्टी, तुलसीडीह.
64.	घोराभांटा से सूरजगढ़	वाड्रर, पाली, हर्मारपुर, रायगढ़, कोण्डातराई, कुसोर, पड़ीगांव
65.	डभरा से लैलूंगा	तुलसीडीह, कोटमी, घुरकोट, टन्ड्री, नंदेली, रायगढ़, घरघोड़ी, कोटरीमाल.
66.	उदबा से रायगढ़	मिलुपारा, सराईडीपा, अरमुड़ा, घरघोड़ा, पूंजीपतरा, गेरवानी
67.	डभरा से रायगढ़	तुलसीडीह, कोटमी, बघौद, घुरकोट, टन्ड्री, नंदेली, तारापुर, जोरापाली
68.	नवागढ़ से सारंगढ़	छाल, खरसियां, डभरा चन्द्रपुर
69.	कुनकुरी से सक्ति	पत्थलगांव, धर्मजयगढ़, खरसिंया
70.	सूरता से बैकुण्ठपुर	श्रीनगर, सूरजपुर
71.	चरचा से कोरबा	पटना, सूरजपुर, कलुआ, श्रीनगर, गणेशपुर, प्रेमनगर, तारा, मोरमा, चोटियां, मड़ई, पोडी, कटघोरा, दर्री.
72.	पोरतेंगा से जशपुर	लोखण्डी, घोलेन
73.	चितरपुर से अंबिकापुर	डुमरडीह, धौंरपुर, बरियों
74.	सूरजपुर से बिलासपुर	कलुआ, श्रीनगर, गणेशपुर, प्रेमनगर, तारा, चोटिया, कटघोरा, पाली, रतनपुर.
75.	खरसिंया से कोरबा	डोमनारा, खम्हार, रामपुर, नूनबिर्रा, भैसमा
76.	घुटरीटोला से रामानुजगंज	मनेन्द्रगढ़, बैकुण्ठपुर, सूरजपुर, अंबिकापुर, राजपुर, बलरामपुर
77.	अंबिकापुर से आरा	ककना
78.	बरडीह से अंबिकापुर	आरा, ककना, परसा
79.	हट्टापाली से सारंगढ़	कंटगपानर, लवसीर, लेन्द्रा, बरमकेला, मल्दा
80.	जशपुर से रायगढ़	दुलदुला, कुनकुरी, तपकरा, फरसाबहार, लैलूंगा
81.	कम्हीचुआ से रायगढ़	पत्थलगांव, धर्मजयगढ़, घरघोड़ा
82.	जोरी से जोरी	बरियों, लुण्ड्रा, अंबिकापुर
83.	अंबिकापुर से नागमपसेना	आरा, कनका, बरियो
84.	अंविकापुर से जोरी	बरिया, आरा
85.	अंबिकापुर से प्रतापपुर	राजपुर, गोपालपुर
86.	अंबिकापुर से बावरा	पोडी, सूरजपुर
87.	अंविकापुर से प्रेमनगर	सूरजपुर
88.	अंबिकापुर से चिरमिरी	वैकुण्ठपुर, अमरपुर
89.	वाड्रफनगर से सनावल	डिण्डो
90.	वाड्रफनगर से रामानुजगंज	सनबाल
91.	चिरमिरी से रामानुजगंज	बैकुण्ठपुर, वाड्रफनगर

(1)	(2)	(3)
92.	अंबिकापुर से शंख	बगीचा
93.	पोराधार से शंख	अंबिकापुर, पत्थलगांव
94.	पत्थलगांव से मनेन्द्रगढ़	अंबिकापुर
95.	सीतापुर से प्रेमनगर	उदयपुर
96.	राजपुर से प्रतापगढ़	लुण्ड्रा, धौरपुर, बरियों
97.	अंबिकापुर से पण्डोपारा	सूरजपुर, कलुआ
98.	अंबिकापुर से भैंसवार	अंबिकापुर
99.	अंबिकापुर से बलंगी	खड़गांव
100.	सेनाबल से रायपुर	वाड्रफनगर, खड़गांव
101.	रामानुजगंज से रायगढ़	अंबिकापुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वाय. के. एस. ठाकुर, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/07/अ-82/03-04/15/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	बड़ेआमाबाल	0.60	वन मण्डलाधिकारी (सा.) वन मण्डल, जगदलपुर.	बांस रोपण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर (भू-अर्जन) बस्तर/वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 2 फरवरी 2005

क्रमांक 507/अ.वि.अ./भू-अर्जन/31 अ/82 सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुन्द	साल्हेतराई प. ह. नं. 40	0.91	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द (छ. ग.).	साल्हेतराई जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 2 फरवरी 2005

क्रमांक अ.वि.अ./भू-अर्जन/19 अ/82 सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	बसना	संतपाली प. ह. नं. 4	0.92	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द.	पलसाभाण्डी जलाशय योजना के नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 2 फरवरी 2005

क्रमांक अ.वि.अ./भू-अर्जन/17 अ/82 सन् 2003-2004 .—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	सरायपाली	खोगसा प. ह. नं. 8	6.13	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द.	पलसाभाड़ी जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष/उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 21 फरवरी 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	बहिरकेला प. ह. नं. 25	0.276	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) बिलासपुर.	कंचनपुर आमापाली बहिरकेला मार्ग कि.मी. 6/6 पर सेतु निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 फरवरी 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	कंचनपुर प. ह. नं. 25	0.648	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) बिलासपुर.	कंचनपुर आमापाली बहिरकेला मार्ग कि.मी. 6/6 पर सेतु निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 फरवरी 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	बुडिया प. ह. नं. 38	0.384	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) बिलासपुर.	तमनार-धौंराभाठा मार्ग के कि.मी. 3/8 पर सेतु निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 फरवरी 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	तमनार प. ह. नं. 38	0.214	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) बिलासपुर.	तमनार-धौंराभाठा मार्ग के कि.मी. 3/8 पर सेतु निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

रायगढ़, दिनांक 21 फरवरी 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	नारायणपुर प. ह. नं. 10	0.304	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) बिलासपुर.	कमरगा सेतु पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 10 मार्च 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/3/अ/82/ 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	पवनी	2.092	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	लोवर सोनिया जलाशय योजना के पवनी माइनर क्र. 2 निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मंडल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 9 मार्च 2005

क्र. 6 अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	दोमुहानी	0.437	कार्यपालन यंत्री, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	बिलासपुर व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 4 फरवरी 2005

क्रमांक 1237/ले. पा./2004/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौ. लोहारा	सुरेगांव	0.46	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बालोद.	ग्राम सुरेगांव, टटेंगा, औंरी, रानीतराई, झिटिया, सुरेगांव मार्ग.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 फरवरी 2005

क्रमांक 1237/ले. पा./2004/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौ. लोहारा	झिटिया	1.33	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बालोद.	ग्राम झिटिया, सुरेगांव, टटेंगा, औंरी, रानीतराई, झिटिया सुरेगांव मार्ग.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 10 मार्च 2005

क्रमांक 438/अ 82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	चारभाठा प. ह. नं. 23	37.18	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	मुड़पार जलाशय योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, बेमेतरा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 10 मार्च 2005

क्रमांक 440/अ 82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	बेमेतरा प. ह. नं. 29	9.852	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	मुड़पार जलाशय योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, बेमेतरा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 10 मार्च 2005

क्रमांक 442/अ 82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	बिलाई प. ह. नं. 23	7.82	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	मुड़पार जलाशय योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, बेमेतरा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 10 मार्च 2005

क्रमांक 444/अ 82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	फरी	0.42	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	फरी जलाशय नहर में प्रभावित निजी भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, बेमेतरा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 10 मार्च 2005

क्रमांक 450/अ 82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	लावातरा	10.80	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	धनगांव जलाशय डूबान में प्रभावित भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, बेमेतरा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 16 मार्च 2005

क्रमांक 417/ले पा/2004/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुंडरदेही	चीचा प. ह. नं. 7	11.34	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	हड़गहन वितरक नहर एवं चीचा माइनर तथा सलौनी माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन (मुख्यालय दुर्ग) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 15 दिसम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है-कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-झारगुड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.772 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
9	0.408
10	0.198
13	0.243
16	0.016
17/1	0.085
17/2	0.012
18/7	0.024
18/9	0.121
18/21	0.121
18/5	0.101
18/11	0.162
18/29	0.172
18/35	0.081
18/32	0.243
18/8	0.024
18/6	0.032
27	0.214
8/1	0.515
योग 18	2.772

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-झारगुड़ा जलाशय हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 15 दिसम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 24/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-केनसरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.031 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
993/3	0.040
993/4	0.049
999	0.235
994	0.113
997/2	0.190
995	0.202
996/3	0.040

(1)	(2)
1061	0.162
योग 8	1.031

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-केनसरा जलाशय हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 15 दिसम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 26/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-लोहाखान
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.411 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
260/1	0.028
260/2	0.020
260/4	0.020
288	0.343
योग 4	0.411

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-लोहाखान जलाशय हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 जनवरी 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 3/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कुम्हीचुवां, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.702 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
226	0.102
26	0.042
25	0.112
56/4	0.068
115/1	0.028
136	0.058
226/2	0.012
246/1	0.052
259/2	0.056
319/2	0.012
320/2	0.044
215/1	0.040
341	0.076
योग 13	0.702

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सलखेता जलाशय के मुख्य नहर हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 मार्च 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-घरघोड़ा

(ग) नगर/ग्राम-भेण्ड्रा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.779 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
458/1	0.120
458/2	0.120
459	0.049
460/1	0.595
460/2	0.364
461/1	0.283
461/2	0.281
461/3	0.281
462/1	0.651
464	0.085
468	0.460
470/2	0.032
467/2	0.115
467/6	0.114
467/3	0.115
467/5	0.114
योग 16	3.779

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-132 के. व्ही. विद्युत उप-केन्द्र निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 मार्च 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक क/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-घरघोड़ा

(ग) नगर/ग्राम-दक्षिण रेगांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल-54.918 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
216/3, 217/3	0.182
267	1.019
198/2	0.507
216/5, 217/5	0.344
216/8, 217/8	0.057
219/3	0.057
305	0.692
8/4	0.243
37	0.364
218/3	0.466
218/2	0.182
230	0.202
263/2	12.014
206/1	0.155
239/1	0.203
239/2	0.162
269/1	0.162
229/1	0.281
216/1, 217/1	0.255
276	0.372
216/4, 217/4	0.344
216/7, 217/7	0.057
219/2	0.049
244	0.388

(1)	(2)	(1)	(2)
246	0.543	233/2	0.085
281/1	1.129	233/3	0.121
306/2	0.049	266	0.295
306/3	0.040	206/3	0.155
206/2	0.154	207/1	0.231
205	0.262	209/1	0.737
228	0.036	240/1	0.299
206/4	0.155	203/2	0.324
239/3	0.202	225	0.441
269/2	0.162	241	0.190
215/2	0.040	249/1	0.235
265/1 ग	0.372	295/1 क	0.372
213/1 ख	0.202	232/1	0.093
233/4	0.148	233/1	0.054
202/1	0.162	234	1.032
203/3	0.324	265/2	0.049
203/5	0.142	198/1	0.486
271	0.247	199	0.987
291/2	0.202	231/2	0.732
298/1	0.053	235	0.275
238	0.231	236	0.599
231/1	0.304	251/1 ख	0.818
237	0.299	251/2 क	0.324
251/1 क	0.056	251/2 ख	0.324
262/1 क	0.793	265/1 ख	0.102
218/1	0.240	268/1	1.166
216/2, 217/2	0.182	292	0.615
219/1	0.182	293	0.227
240/2	0.121	281/2	0.202
249/2	0.765	291/1	0.138
231/4	0.287	304/2	0.769
216/6, 217/6	0.400	297	0.314
213/3	0.247	299/1	0.032
214/2	0.101	298/2	0.032
282/1	0.053	298/4	0.134
282/2	0.101	220/1	0.417
283/1	0.093	223/2	0.020
283/2	0.182	222	0.902
284	0.113	226	0.105
263/1	1.275	227	0.239
268/3	0.405	243	0.138
231/5	0.287	246	1.044
232/2	0.343	248	0.332

(1)	(2)
270/1	0.341
274/1	0.081
274/2	0.263
275/1 क	0.458
275/2	0.178
278/1	0.098
269/2	0.081
295/2	0.263
298/3	0.324
299/2	0.040
300	0.478
301/1	0.251
302/1	0.134
302/2	0.243
303	1.291
304/1 क	1.501
208/2	0.089
208/3	0.202
208/4	0.020
211	0.162
229/2	0.080
229/3	0.202
270/2 ख	0.114
220/2	0.024
223/1	0.373
224	0.214
277	0.295
268/2	0.097
268/4	0.097
218/4	0.439
202/2	0.449
203/4	0.190
203/1	0.089
272	1.299
239/2	0.162
273	0.607
250	0.348
213/2	0.206
207/2	0.231
209/2	0.736
210/2	0.036
268/5	0.097
220/3	0.105
204	0.563
295/1 ग	0.445
279/1	0.093
280	0.142
286/1	0.405
286/2	0.202
298/2	0.032
294	1.238
295/1 ख	0.134
296	0.380
278/2	0.210
213/1 क	0.223
214/1	0.037
201/2	0.688
270/2 क	0.096
301/2	0.235
304/1 ख	0.243
198/3	1.621
200	0.053
221	0.239
220/4	0.291
योग	54.918

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-1000 मेगावाट थर्मल पॉवर प्लांट के एश डाईक हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 मार्च 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक क/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-घरघोड़ा

(ग) नगर/ग्राम-उत्तर रेंगांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल-23.005 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
207	0.117
210	0.336
208/2	0.252
208/1	0.210
209	0.267
214	0.089
217/2	0.024
218/2	0.608
218/3	0.210
219/1	0.035
220/2	0.607
220/3	0.554
215/1	0.530
217/1	0.101
215/2	0.056
215/4	0.057
215/3	0.057
216	0.101
218/1 ख	0.166
218/1 ग	0.607
220/1 ख	0.243
221/1 ख	0.251
220/1 ग	1.271
220/4	0.300
220/5	0.186
221/2	0.049
239	0.603
240	0.255
241	0.368
242/1	0.735
242/2	0.121
242/3	0.613
244/5, 245	0.567
243/1	0.298
244, 245/1	0.743
243/2	0.056
244, 245/2	0.607
244, 245/6	0.138
236/1	0.671
243/3	0.010
244, 245/4	0.026
243/4	0.029
244, 245/3	0.040
244, 245/7	0.032
246	0.283
223	0.101
237/1	0.202
238/2	0.470
238/4	0.214
238/6	0.615
238/5	0.214
238/3	0.170
237/2	0.466
234	0.441
235/1	0.441
235/2	0.409
238/1	0.300
226/2	0.344
231, 232/3	0.236
231, 232/1	0.120
231, 232/4	0.231
231, 232/2	0.210
236/2	0.425
228/2	0.214
227	0.202
224/2	0.202
226/1	0.344
322/2	0.012
225	0.405
224/1	0.813
229	0.482
230	0.624
233	0.045
योग	23.005

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-1000 मेगावाट थर्मल पॉवर प्लांट के एश डाईक हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 मार्च 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक क/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) ज़िला-रायगढ़
- (ख) तहसील-घरघोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-कुंजेमुरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-35.801 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
126/1	0.526
125/4	0.809
126/3	0.101
309	0.077
327	1.345
340	0.668
341	0.441
343/1	0.788
352/1	0.930
310/1	0.194
310/2	0.061
311	0.486
359	0.478
312/1	0.045
328/1 ख	0.150
328/1 झ	0.070
337/2 छ	0.101
338/1 ड	0.085
337/2 क	0.081
312/2	0.161
328/1 ग	0.271
337/2 च	0.146
338/1 च	0.129
339/2	0.024
312/3	0.065
328/1 ज	0.150
337/2 ज	0.069
338/1 घ	0.085
339/1	0.176
313	0.632
348/1	0.214
348/2	0.125
389/2	0.554
394	0.332
315	0.328
317	0.121
321	1.056
318/1, 319/1, 320/1	0.364
354/1 ट	0.121
318/6, 319/6, 320/6	0.251
354/1 क	0.097
354/1 च	0.150
318/2, 319/2, 319/3	0.101
318/7, 319/7, 320/7	0.384
354/1 छ	0.380
354/1 ग	0.336
354/1 ड	0.101
318/3, 319/3, 320/3	0.170
318/8, 319/8, 320/8	0.162
354/1 ज	0.336
318/10, 319/10, 320/10	0.061
353/1	0.121
354/1 ज	0.040
318/4, 319/4, 320/4	0.182
354/1घ	0.121
354/1 ड	0.129
318/5, 319/5, 320/5	0.057
354/1 द	0.050
318/9, 319/9, 320/9	0.121
353/2	0.530
354/1 ख	0.299
323/1	0.117
323/2	0.114
327/3	0.061
339/3	0.087
338/1 ख	0.216
328/1 क	0.024

(1)	(2)
328/1 ङ	0.202
328/1 छ	0.202
337/2 ग	0.150
337/2 ङ	0.069
338/1 छं	0.089
339/5	0.032
339/7	0.056
328/1 ध	0.040
328/1 च	0.125
337/2 ख	0.032
337/2 घ	0.081
338/1 क	0.036
338/1 ग	0.089
339/4	0.069
339/6	0.040
328/2	0.053
337/1	0.914
354/2	0.817
321/1	0.073
332/4	0.028
332/5	0.101
332/6	0.081
333/2	0.016
332/2	0.076
333/1	0.081
333/5	0.016
332/3	0.200
333/3	0.033
338/2	0.450
345/2	0.312
345/3	0.304
345/4	0.283
346/1	0.170
346/2	0.478
351/1 क	0.287
347	0.595
349/1	0.121
349/2	0.020
349/3	0.757
349/4	0.405
349/5	0.405
350/2	0.809
350/3	0.607

(1)	(2)
351/1 ख	0.227
352/2 क	0.275
354/1 ग	0.162
354/3	0.405
356/2	0.198
395/1	0.299
395/2	0.389
356/4	0.322
389/1	0.016
395/3	0.040
395/4	1.053
395/5	0.016
356/5	0.385
356/6	0.192
354/16	0.162
360/1	0.376
366/2	0.091
362/2	0.162
365/2	0.101
361	0.036
362/2	0.180
363	0.036
364	0.142
365/1	0.041
366/1	0.281
393	0.445
379/3	0.607
391	0.947
392	0.065
390	0.206
योग	35.801

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-1000 मेगावाट थर्मल पॉवर प्लांट के एश डाईक हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 मार्च 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक क/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-घरघोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-पाता
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-48.186 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
368	0.458
369/1	0.173
396/1	0.381
369/2	0.684
370	0.868
371	0.567
372/1	0.093
374/4	0.101
372/2	0.093
373/2	0.093
374/1	0.162
374/6	0.114
374/2	0.178
387/3	0.049
374/3	0.101
387/4	0.040
474/5	0.105
387/5	0.040
375	0.806
376	0.388
377	1.785
381/1	1.307
381/2	0.607
381/3	0.607
382/1	0.891
382/2	0.514
382/3	0.214
382/4	0.243
707	2.387
383/1 क	0.943
383/1 च	0.945
383/1 छ	2.833
400/1	1.984
706/1	0.324
706/2	0.454
383/1 ख	0.947
383/1 ग	0.736
383/2 क	0.210
383/1 ध	0.752
383/2 ख	0.291
383/2 ड	0.943
398/1 क	0.453
400/2	1.161
704/1	1.096
384/2	0.486
384/4	0.324
703/2	0.263
384/3	0.065
384/4	0.704
386	0.308
386/2	0.065
389/4	0.364
390/1	0.450
395	0.425
396/2	0.380
397	0.829
398/1 ख	0.453
398/4	0.202
711	0.239
398/2 ख	0.567
399/2	0.162
401	0.125
403/2	0.691
403/4	0.101
403/1	0.709
403/3	0.405
404	1.761
405	1.566

(1)	(2)
703/1	0.267
704/2	0.567
705/2	0.518
708/4	0.466
709	1.003
391/1	0.305
402/1	0.364
402/3	0.304
391/2	0.048
392/2	0.365
402/4	0.235
391/3	0.048
392/1	0.177
402/2	0.262
402/5	0.170
393	1.137
योग	48.186

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-1000 मेगावाट थर्मल पॉवर प्लांट के एश डाईक हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दंतेवाड़ा, दिनांक 1 फरवरी 2005

क्रमांक 538/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा
(ख) तहसील-दंतेवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम-फुण्डरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.32 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
138	0.07
326	0.05
288	0.45
110/2	0.05
285	0.20
281	0.14
283	0.04
282/2	0.09
92	0.10
95	0.05
226	0.08
योग	1.32

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-राष्ट्रीय राजमार्ग-16 के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, दंतेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दंतेवाड़ा, दिनांक 1 फरवरी 2005

क्रमांक 542/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा
- (ख) तहसील-दंतेवाड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-फरसपाल उर्फ बोदली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.66 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
300	0.29
302	0.02
269	0.15
272	0.04
285	0.06
287	0.01
268	0.01
292	0.25
293	0.05
160	0.04
134	0.23
159	0.01
157	0.03
148	0.17
139	0.15
140	0.05
145	0.01
147	0.09
योग	1.66

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-राष्ट्रीय राजमार्ग-16 के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, दंतेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 24 जनवरी 2005

रा. प्र क्र. 01/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-पाल
- (ग) नगर/ग्राम-सरनाडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.16 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
424	0.16
योग	0.16

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बलरामपुर-कुसमी मार्ग पर चनान सेतु पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 24 जनवरी 2005

रा. प्र क्र. 02/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-पाल
- (ग) नगर/ग्राम-बराहनगर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.16 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रक़बा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	94	0.04
	30	0.12
योग	2	0.16

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मुरकोल-डिण्डों मार्ग पर झुमर सेतु पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 15 दिसम्बर 2004

क्रमांक 9098/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-आयाबांधा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.98 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	326/15	0.84
	328	0.14
योग		0.98

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-आयाबांधा जलाशय के स्पिल चैनल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी जिला कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 24 दिसम्बर 2004

क्रमांक 9282/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अं. चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-मिरचे, प. ह. नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-95.484 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
75	0.413
77	0.352
76	0.174
79	0.096
81/3	0.082
81/4	0.085
82	0.202
83	0.506
328	0.263

(1)	(2)	(1)	(2)
589	0.198	623/2	0.809
84	0.081	319/2	0.405
363	0.405	319/3	0.202
89	0.028	319/4	0.607
91	0.053	319/5	0.405
582/3	0.668	319/8	0.335
307	0.356	319/9	0.069
315	0.336	327	0.267
308	0.761	346	0.376
309	0.809	347/1	1.971
90	0.024	347/2	0.161
94	0.324	562	0.648
95	0.178	348/1	0.283
333	0.200	348/2	0.295
345	0.162	348/3	0.045
361	0.093	350	0.384
566	0.664	351/1	1.643
575	0.032	351/2	1.502
302	1.246	354/1	0.485
304	0.785	354/2	1.015
368	0.120	797	0.267
305	0.328	354/3	0.405
306/1	0.199	355/1	0.093
525/1	0.057	364	0.182
795	0.219	359/4	0.088
312	0.146	313/3	0.093
313/1	0.109	359/5	0.164
313/2	0.085	313/4	0.085
359/1	0.024	359/2	0.024
310/2	0.117	359/3	0.060
310/3	0.117	314/1	0.182
310/4	0.121	314/2	0.032
310/5	0.101	329	0.081
310/6	0.121	332	2.043
310/7	0.142	526	0.530
311	0.028	571	0.061
360	0.397	334	0.271
314/3	0.162	343	2.116
317	0.473	568	0.947
318/1	1.550	793	0.243
620/2	0.591	335/2	0.414
318/4	0.769	335/3	0.486
620/1	1.868	335/4	0.405

(1)	(2)	(1)	(2)
342/1	0.202	563	0.607
342/4	0.081	564	0.539
357	0.098	565/1	3.447
356/1	0.393	567/2	0.809
356/3	0.121	567/3	0.295
578/3	0.105	567/4	0.421
588	0.033	579	0.134
355/2	0.369	582/2	0.915
355/5	0.040	583	0.052
356/2	0.242	798	0.202
580/1	0.044	553/8	0.404
355/3	1.538	353/9	0.394
355/4	1.538	553/10	0.687
355/6	0.446	553/11	0.607
356/4	0.041	554/1	0.154
580/2	0.045	554/2	0.150
362	0.113	554/3	0.154
553/7	0.243	555/1	0.210
519	0.473	555/2	0.283
365	0.279	555/3	0.162
514	1.586	555/4	0.162
516	1.460	555/5	0.589
527	1.449	555/6	0.607
517/1	0.159	555/8	0.137
518/1	0.202	555/7	0.137
523	3.678	555/9	0.101
324	0.049	570	0.113
553/1	0.552	572/1	0.275
529/1	0.311	572/3	0.267
553/2	0.809	572/5	0.186
553/3	0.566	590	0.142
553/4	0.364	572/2	0.267
953/5	0.516	572/4	0.470
553/6	0.809	587	0.032
555/10	0.105	573/1	0.157
556	0.040	573/2	0.138
557	0.348	586/2	0.210
559/2	0.809	829	0.563
559/3	0.809	574	0.239
559/4	0.364	578/1	0.077
559/5	0.424	578/2	0.077
560	1.922	569	0.368
561	0.324	592	0.142

(1)	(2)
828	0.490
586/1	0.138
796/2	0.130
799	0.097
800	0.543
801/2	0.130
801/3	0.134
830/4	0.324
802/2	0.737
802/3	0.405
803/1	0.138
803/2	0.170
803/3	0.477
824	1.052
830/1	0.324
830/2	0.324
508	0.494
550	0.995
222/1	0.400
610/1	0.315
610/2	0.227
796/3	0.129
610/3	0.311
611	0.400
613	0.650
614	0.756
616/1	0.129
616/3	0.089
618	1.282
619	0.717
620/3	0.890
624	0.474
625/1	0.114
792	0.182
794	0.615
796/1	0.129
507	1.793
योग	95.484

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मोंगरा बैरॉज परियोजना के अंतर्गत डुबान क्षेत्र.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 जनवरी 2005

क्रमांक 592/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-जोरातराई, प. ह. नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.51 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
788/1	0.09
788/2	0.05
789/1	0.12
789/2	1.79
790	0.75
791/1	0.80
791/2 क	0.79
791/2 ख	0.79
791/3	0.79
792/1	0.11
792/2	0.27
793/1	0.73
794/1	0.43
794/2	0.45
794/3	0.47
794/4	0.52
808/2	1.56
योग 17	10.51

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-रौंदा जलाशय नया के डुबान में भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) खैरागढ़ में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 9 मार्च 2005

क्रमांक 1553/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुईखदान
- (ग) नगर/ग्राम-गातापार, प. ह. नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-84.76 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1/1	6.00
1/4	2.92
5/4	0.50
12/6	2.34
2	1.38
7	2.10
1/5	2.90
5/1	0.50
8	14.50
12/5	2.67
3	8.25
9	0.52
1/2	2.90
5/2	0.50
10	13.53
12/1	1.80
4	1.10
11	7.14
1/3	2.90
5/3	0.50
12/4	0.88
17	8.15
6	0.40
16	0.38
योग	84.76

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-गंजी गंजा जलाशय के अंतर्गत बांध पार डुबान एवं उलट निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 21 फरवरी 2005

रा. प्र. क्र. 01/अ-82/2004-05 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-भोथिया, प. ह. नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.736 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
94/1 ख	0.648
110/2	1.299
110/1	0.445

(1)	(2)
110/4	0.344
योग	2.736

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भोथिया जलाशय के अंतर्गत डुबान में आने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनु. अधि. (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती, जिला-जांजगीर-चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 19 नवम्बर 2004

क्रमांक 583/प्र. 1/अ.वि.अ./भू-अर्जन/03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
(ग) नगर/ग्राम-तेलीटोला, प. ह. नं. 18
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.18 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
248	0.15
247	0.10
246	0.02
241	0.17
239	0.15
240	0.22
224	0.25
238	0.07
235	0.05
योग 9	1.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोंहदीपाट परियोजना की भुरकाभाट माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 19 नवम्बर 2004

क्रमांक 584/प्र. 1/अ.वि.अ./भू-अर्जन/03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
(ग) नगर/ग्राम-हड़गहन, प. ह. नं. 18
(घ) लगभग क्षेत्रफल-22.48 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
65	0.08
66	0.04
67	0.06
72	0.03
70	0.09
71.	0.03
73	0.45

(1)	(2)	(1)	(2)
292	0.32	251/2	0.28
75/1358	0.13	253	0.43
76	0.10	293/1	0.29
77	0.07	391/1	0.42
81	0.19	391/2	0.58
82	0.08	354	0.47
250	0.24	355	0.33
83	0.07	357	0.11
87	0.10	356	0.30
88	0.13	313	0.05
89	0.12	318	0.12
89/1360	0.10	319	0.15
1359	0.03	320	0.15
90	0.28	321	0.15
958	0.07	255/2	0.37
93	0.15	349/1	0.58
104	0.13	198/1	0.08
94/1	0.11	314	0.12
102	0.08	257/1	0.30
106	0.08	257/3	0.06
110	0.13	203	0.03
95	0.13	215	0.06
101	0.02	216	0.01
105	0.08	217	0.05
107	0.32	202	0.27
108	0.02	203/1366	0.05
111	0.03	242	0.20
940	0.03	243/2	0.20
174	0.30	298	0.10
197	0.16	244/1355	0.12
208	0.23	244	0.64
206	0.54	364	0.03
213	0.15	365	0.38
214	0.44	419	0.10
204	0.17	420	0.10
215	0.10	421	0.30
203	0.32	422	0.16
200/1	0.35	414/2	0.01
200/2	0.22	414/1	0.33
181	0.46	415	0.01
177	0.54	416	0.12
175	0.25	405	0.18
249	0.26	387	0.26

(1)	(2)
386	0.16
407	0.10
366	0.28
200/1	0.12
200/2	0.13
199	0.24
127/1	0.02
169	0.01
198/7	0.20
149/5	0.17
198/6	0.16
183/2	0.45
170/1	0.07
170/2	0.08
170/3	0.11
170/4	0.10
168	0.01
149/3	0.14
149/2	0.13
150	0.19
128	0.03
151/2	0.52
354	0.63
353	0.10
355	0.03
352	0.15
350	0.16
306/1	0.09
306/3	0.06
306/2	0.10
307/2	0.08
योग	22.48

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोंहदीपाट परियोजना की शिकारीटोला वितरक नहर, हड़गहन माइनर क्र. 1, 2 एवं मनकी माइनर क्रमांक 3 निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 19 नवम्बर 2004

क्रमांक 585/प्र. 1/अ.वि.अ./भू-अर्जन/03. चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-डौण्डीलोहारा

(ग) नगर/ग्राम-घीना, प. ह. नं. 19

(घ) लगभग क्षेत्रफल-17.85 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
1070/1	0.12
278/3	0.07
1070/2	0.10
1069	0.21
838	0.01
311	0.27
841/2	0.17
841/3	0.16
855	0.32
308/1	0.18
308/2	0.07
299/1	0.56
306/1	0.44
305	0.18
277	0.18
276	0.03
275	0.28
274	0.01
269	0.05
279	0.45
245	0.22
247	0.27
229/1	0.13

(1)	(2)
230	0.11
191/2	0.03
231	0.30
225	0.02
206	0.01
210	0.02
226	0.13
209	0.13
207	0.02
208	0.25
181	0.45
192/1	0.20
192/2	0.23
227	0.10
839/1	0.22
936	0.22
956	0.04
934	0.15
957	0.05
939	0.13
958	0.18
972/1	0.13
959	0.25
960	0.02
946	0.12
962	0.09
963/2	0.03
963/3	0.32
972/2	0.11
935	0.09
964	0.22
965	0.01
949/1	0.02
949/2	0.15
949/6	0.06
949/7	0.38
937	0.12
943	0.33
957	0.25
956	0.17
976	1.15
1039	0.38
1040	0.06
1042	0.37
1022	0.37
1024	0.30
1036	0.02
1035	0.12
1021	0.02
1023/7	0.22
1023/3	0.23
1023/6	0.22
1025	0.03
1043	0.01
1034	0.30
612/1	0.50
609	0.02
610	0.40
611	0.08
613/1	0.08
614/1	0.08
614/3	0.03
615/1	0.15
616	0.66
594/1	0.40
593/1	0.63
588/3	0.68
योग	17.85

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोंहदीपाट परियोजना की घीना माइनर क्र. 1 एवं 2, परना माइनर क्र. 1 एवं कसही माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 19 नवम्बर 2004

क्रमांक 586/प्र. 1/अ.वि.अ./भू-अर्जन/03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-डौण्डीलोहारा

(ग) नगर/ग्राम-भुरकाभाट, प. ह. नं. 18

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.12 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
626	0.13
628	0.17
787	0.10
629	0.30
681	0.11
730	0.03
785	0.06
786	0.05
654	0.13
784	0.03
655	0.17
659	0.03
656	0.10
702	0.07
657	0.06
731	0.08
683	0.13
734/1	0.02
684	0.08
688	0.06
727/2	0.08
728	0.03
689	0.28
725	0.10
726	0.10
724	0.05
727/1	0.03
734/2	0.10
729	0.07
733	0.04
732	0.06
706	0.05
366	0.08
788	0.02
411	0.10
700	0.12
704/1	0.11
367	0.22
375	0.09
701	0.09
691	0.18
424	0.05
693	0.04
694	0.18
420	0.03
698	0.15
699	0.06
412	0.12
415	0.05
419/1	0.07
421	0.02
423	0.07
363/1	0.12
707/2	0.09
707/3	0.11
363/2	0.11
707/1	0.09
23	0.23
24	0.25
90	0.08
295	0.15
296	0.25
314	0.05
323/1	0.02
324	0.10
325/1	0.16
325/2	0.04
326/1	0.09
374/1	0.03
326/2	0.03
335	0.24
336	0.08
342	0.04
343	0.02

(1)	(2)
344	0.06
345	0.30
379	0.12
378	0.10
390	0.04
406	0.03
355	0.02
405	0.02
407	0.06
371	0.01
409	0.05
410	0.02
411	0.01
375	0.02
351	0.02
352	0.03
353	0.02
354	0.03
373	0.03
योग	8.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोंहदीपाट परियोजना की शिकारीटोला वितरक नहर एवं भुरकाभाट माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 19 नवम्बर 2004

क्रमांक 587/प्र. 1/अ.वि.अ./भू-अर्जन/03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
(ग) नगर/ग्राम-मनकी, प. ह. नं. 18
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.38 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
744	0.21
756	0.23
757	0.21
755	0.44
754	0.14
749	0.06
750	0.13
695/1	0.17
696	0.25
695/2	0.13
697	0.04
690	0.28
689/1	0.12
689/2	0.04
689/3	0.20
687	0.15
528	0.30
530	0.15
526/2	0.25
524	0.35
526/1	0.08
734	0.15
733	0.23
302	0.40
303	0.02
299	0.12
292	0.07
294	0.22
273	0.14
295	0.18
282	0.07
289	0.14
290	0.02
283	0.10
281	0.10
280	0.15
279/2	0.05
267	0.02
268	0.22

(1)	(2)
269	0.05
योग	6.38

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोंहदीपाट परियोजना की शिकारीटोला वितरक एवं मनकी माइनर क्र. 2 एवं 3 निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 19 नवम्बर 2004

क्रमांक 588/प्र. 1/अ.वि.अ./भू-अर्जन/03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-डौण्डीलोहारा

(ग) नगर/ग्राम-शिकारीटोला, प. ह. नं. 18

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.29 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
386	0.14
388	0.01
390	0.03
679	0.05
389	0.06
392	0.10
393	0.03
394	0.06
675	0.09
395	0.02
171	0.04
396	0.08
674	0.10
355	0.08
672	0.14
673	0.18
671	0.11
676	0.22
678	0.15
680	0.16
682	0.15
148/4	0.04
421	0.08
148/5	0.16
149	0.13
422/1	0.15
150	0.14
423	0.06
158/1	0.07
158/2	0.12
159	0.06
426	0.08
165/2	0.02
166	0.14
427	0.12
436	0.05
167	0.02
178	0.10
179	0.08
422/2	0.07
424	0.10
425	0.03
433	0.18
435	0.05
437	0.22
681	0.02
योग 46	4.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोंहदीपाट परियोजना की शिकारीटोला वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 19 नवम्बर 2004

क्रमांक 589/प्र. 1/अ.वि.अ./भू-अर्जन/03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2). में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-कसहीकला, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-12.08 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
62	0.58
63	0.17
68/6	0.18
64	0.01
185	0.60
182	0.17
175/1	0.62
175/3	0.48
176	0.15
175/4	0.21
152/1	0.23
152/2	0.25
152/3	0.15
153	0.08
159	1.16
780	1.08
161/2	0.27
362/1	0.14
362/2	0.13
363	0.18
364	0.10
365	0.17
360	0.01
366	0.11
644	0.03
639	0.17
646	0.01
959	0.16
647	0.24
638	0.23
631/2	0.10
628/1	0.01
614/1	0.10
631/1	0.06
629	0.20
609	0.04
612	0.13
614/2	0.05
615	0.03
815	0.02
823	0.75
838/1	0.05
821	0.30
822	0.01
820	0.22
962	0.16
961/2	0.02
983	1.20
984	0.24
985	0.30
838/2	0.02
योग	12.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोंहदीपाट परियोजना की कसही माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

दुर्ग, दिनांक 5 मार्च 2005

क्रमांक 368/खनि.लि./खुलाघोषित/2005.—दुर्ग जिले में चूनापत्थर (गौण खनिज) के लिये स्वीकृत उत्खनि पट्टे का निम्नलिखित क्षेत्र छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम 12 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन तिथि के 30 (तीस) दिन बाद पुन: प्राप्त करने हेतु उपलब्ध घोषित किया जाता है :—

क्र.	पूर्व पट्टेधारी का नाम	ग्राम/प.ह.नं. तहसील	खनिज	खसरा नंबर	रकबा	भूमि शासकीय/ भूमिस्वामी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	श्री रामकुमार साहू	ग्राम पेण्ड्रीतराई प.ह.नं. 34 तह. धमधा.	चूनापत्थर गौण खनिज	434/3	1.20 हेक्टर	भूमिस्वामी

जवाहर श्रीवास्तव,
कलेक्टर.